

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

गुलाबसिंह

बनाम

हरदेवसिंह

स्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 253/2021

रीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

10 12 / 21

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती गुलाब सिंह

पिता श्री शंकरसिंह राजपूत

2021 / 435

निवासी- नेगडियाकला तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

नेगडियाकला स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 2 खाता सं. 68 में वर्णित आराजी कीता 14 रकबा 6.0100, खाता सं. 38 में वर्णित आराजी कीता 3 रकबा 3.0100, खाता सं. 29 में वर्णित आराजी कीता 1 रकबा 2.1300 है।

कुल कीता 18 कुल रकबा 11.15 है 0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम नेगडियाकला स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 2 खाता सं. 68 में वर्णित आराजी कीता 14 रकबा 6.0100, खाता सं. 38 में वर्णित आराजी कीता 3 रकबा 3.0100, खाता सं. 29 में वर्णित आराजी कीता 1 रकबा 2.1300 है।

कुल कीता 18 रकबा 11.15 है 0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1500/- रुपये अक्षरे एक हजार पंच सौ ब्याप प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

श्याम सुन्दर विनोई
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

मांक / सरिश्ता / प्रा.पत्र 253/2021/ 263

दिनांक 10/12/21

तहसीलदार
चित्तौड़गढ़

विषय : पत्थरगढ़ी करने के सम्बन्ध में।

प्रकरण : गुलाबसिंह वित्त शंकरसिंह राजपूत 140 नोगडियाकला
— पार्थी

- 1) 3) सुनाम
1) 3) हरेकसिंह - सुमित्राकंवर - गटुकंवर वित्त शंकरसिंह राजपूत
4) श्री नत्ते साधरकंवर 140 शंकरसिंह राजपूत 5) श्री स्वामी सिंह 10 प्रतापसिंह राजपूत
6) नाशरणसिंह 510 शंकरसिंह राजपूत 7) से 8) अगवतसिंह - राजेन्द्रसिंह वित्त हंसिसिंह 9) महिपालसिंह 510 लखसिंह 10) से 14) नाशरणसिंह - बहादुरसिंह - बंलाशसिंह - पुव्कीसिंह - बगसिंह वित्त शंकरसिंह राजपूत
15) से 16) शिवाकंवर - गजराकंवर वित्त प्रतापसिंह राजपूत 17) से 19) विजयसिंह नरपतसिंह - प्रहलादासिंह वित्त अगनसिंह 20) धर्मवीर सिंह 510 कर्णसिंह युगदावत 21) से 23) भूपेन्द्रसिंह - जितेन्द्रसिंह - हितपालसिंह 510 इन्द्रसिंह राजपूत 24) से 25) अहेन्द्रसिंह - महिपालसिंह वित्त रम्यसिंह राजपूत
26) गेन्दसिंह वित्त समुद्रसिंह राजपूत 27) देवीलाल 510 धाराजी सालवी 28) नाइलाल 510 अरमल सालवी सभी निवासी नोगडियाकला
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट शेषनाम नीचे अंकित है

उपरोक्त विषयाकित अनवान के प्रकरण में ग्राम नेगडियाकला खतौनी सं. 68, 38, 29 सम्वत् 2070-2073 में अकित आराजी नम्बर खाता सं. 68 आराजी कीता 14 रकबा 6, 01, 00 है खाता सं. 38 आराजी कीता 3 रकबा 3, 01, 00 है खाता सं. 29 आराजी कीता 1 रकबा 2, 13, 00 कुल किता 18 रकबा 11, 15 है। भूमि की नियमानुसार मौके पर विवाद रहित पाये जाने पर कब्जे में दखलन्दाजी किये बिना पक्षकारों को सूचना देकर सीमाकन (पत्थरगढ़ी) कुर दिया जावे। खर्चा कमिश्नर शुल्क रूपये 1500-00 अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपए मात्र प्रार्थी वहन करेगें। पालना रिपोर्ट न्यायालय में (15 दिवस में) शीघ्र भिजावे।

- 29) सोहनलाल 510 धाराजी खरीक 30) लक्ष्मणलाल 510 अगवानलाल हजुरी 31) बाबूलाल वित्त अहेन्द्र हजुरी 32) से 33) जगदीश - फाल्गु वित्त आगीलाल हजुरी सभी निवासी कस्बा उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)
34) लोकेन्द्रसिंह 510 जोरकरसिंह 140 नोगडियाकला
35) धारचन्द 510 नन्दाजी खरीक 140 कस्बा
36) शत्रु सालवी 510 नाइलाल सालवी 140 नोगडियाकला 37) से 38) गटुसिंह - मिहुसिंह वित्त गजराजसिंह राजपूत 39) से 40) ऊमरसिंह - कजसिंह 510 नाहरसिंह राजपूत सभी निवासी - नोगडियाकला
— विपक्षीगण